रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 114] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 12, 1984/चैत्र 23, 1906
No. 114] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 12, 1984/CHAITRA 23, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1984

सा. का. नि. 282 (अ).—विदेशी मुद्रा विनियमन आधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की दिनांक 25 अगस्त, 1948 की अधिसूचना संख्या 12 (11)-एफ. 1048 में आशिक संशोधन करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा आदेश देती है, कि भारतीय हस्तशिल्प और कथकरघा निगम

लिमिटेड (हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम एक्सपोर्ट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड) भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 1981 के सार्वजनिक नोटिस संख्या 39-आई.टी.सी. (पी.एन.ओ)/80 में अधिसूचित योजना के अन्तर्गत विदेशी क्रेताओं द्वारा मुहैया किए गए सोने के बदले सोने के आभूषणों का निर्यात करने के लिए 11-4-1984 तक भारत में सोने का आयात कर सकेगा ।

[संख्या एफ. 5/14/84-सी.आई.ई(1)]

वी .के. दीक्षित, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 1984

G.S.R. 282(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) and in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance No. 12(11)-F. 1048 dated the 25th August, 1948, the Central Government hereby orders that Handicrafts and Handloom Export Corporation of India Ltd. may import into India any gold for export of gold jewellery against gold supplied by foreign buyers till 11-4-1984 under the scheme notified by Government of India in the Ministry of Commerce under the Public Notice No. 39 ITC(PNO)/80 dated the 4th April, 1981.

[F. No. 5/14/84-CIE-I]

V. K. DIKSHIT, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984